

5/2022

रज्जु उन्वान खेमबाब

राज्य पंचायत  
का कार्यवाही  
दफ्तर की मालिका  
के अंतर्गत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  
RTA की क्रमांक 53, 54, 88, 188

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 17/4/25 को पेश हो।

CP  
आज्ञा से रीडर

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में हैं। पत्रावली साक्षिक आदेश दिनांक 17/4/25 को पेश हो।

CP  
आदेश से रीडर

11/5/25 पत्रावली पेश हुई। वादी - जतिवारी आदि. उप-जतिवारी अधिकारता द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय में एक अन्य वाद सं. 58/2024 उन्वान मदनलाल विरुद्ध बनाम रज्जु उर्फ राजकुमार वगैरे विचाराधीन है। वादी द्वारा उक्त वाद की तलब किया गया, जतिवारी अधिकारता द्वारा निवेदन किया गया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का विधान दीगर धारकों के पक्ष में पंजीकृत रिकॉर्ड प्र. दिनांक 17/04/25 से विवेचन कर दिया गया है। अतः वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हितों का अंतरण अन्य धारकों के पक्ष में कर दिया जाने से वादी राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 (घा) के अनुसार वादी अपने समस्त एक-दूसरों का अन्तर्गत करने से अपनी अधिकारी अधिकारों का निवर्तन कर चुका है। सम्बन्धित रिकॉर्ड प्र. की जतिवारी विचाराधीन वाद सं. 58/24 उन्वान मदनलाल बनाम रज्जु उर्फ राजकुमार वगैरे में संलग्न है। अतः वादी द्वारा अपने जतिवारी अधिकारों का निवर्तन कर दिया जाने से वादी राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 में सरकारी नहीं होने से विभाजन कानून का आधिकारी नहीं है।

वादी अधिकारता द्वारा जतिवारी अधिकारता के तथ्यों से सहमत उक्त की। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हितों का पंजीकृत रिकॉर्ड प्र. के माध्यम से

आज्ञा से

सहायक क्लर्क  
मीलवाड़ा

51/2022

शब्द VI: खेमराज

RTA  
53, 54, 88, 188

1/5/25

अपने दिनों का अंशण कर दिने जाने के कारण उनके  
खार्दारी अधिकार निर्वहित हो चुके हैं। अतः वारी

जस उच्छुन बाद अन्तर्गत धारा 53<sup>54, 88, 188</sup> राजस्थान काश्तकारी  
आधिनियम की वारी द्वारा खार्दारी अधिकार निर्वहित  
कर दिने जाने से ब्राह्मण किया जाता है।

निर्णय से इजलास सुनाना गाना  
डिक्री पचि वारी हो। प्रजावली फौजल शुमार होकर  
वाकिल दफतर हो तथा तम्बर से कम हो।

  
1/5/25

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. राजू उर्फ राजकुमार माली पुत्र नंदलाल माली निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. खेमराज पुत्र सोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. घीसू लाल पुत्र मोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. डाली पत्नी मोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. डाली पत्नी नंदलाल माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. बदाम पुत्री सोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. बरदी पुत्री सोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. देउ पुत्री सोहन माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. भैरू लाल पुत्र नंदलाल माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. मदनलाल पुत्र सोहनलाल माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रतन लाल पुत्र हजारी माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. शंकरलाल पुत्र हजारी माली उम्र वयस्क निवासी दरीबा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. ऑरियटल बैंक ऑफ कामर्स शाखा पांसल
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन कृषि आराजियात व इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 51/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बाललाल कुमावत उपस्थित- इस वाद में आज तारीख 01.05.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी अधिवक्ता के तथ्यों से सहमति प्रकट की। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में से अपने हितों का पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अपने हितों का अंतरण कर दिये जाने के कारण उनके खातेदारी अधिकार निर्वापित हो चुके हैं। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को वादी द्वारा खातेदारी अधिकार निर्वापित कर दिये जाने से खारिज किया जाता है।

11/5/25  
अरुण कुमार जैन  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा